संख्या - 87/2016/1378/छप्पन-2016-01/2016

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 04 नवम्बर, 2016

विषय :जनपद अलीगढ़ स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रि-सरफेसिंग तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 398/ए0एस0-22-84/2016, दिनांक 04.10.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा जनपद अलीगढ़ स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रि-सरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्यों के समयबद्ध सम्पादन हेतु अवशेष धनराशि रूपये 1,09,40,000/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद अलीगढ़ स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रि-सरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्यों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- 55/2016/483/छप्पन-2016-01/2016, दिनांक 29.7.2016 द्वारा रूपये 2,18,40,000/- (रूपये दो करोड़ अट्ठारह लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 1,09,00,000/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रशासकीय रूप से अनुमोदित धनराशि में से अवमुक्त की गई धनराशि को घटाने के पश्चात रूपये 1,09,40,000/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्ति हेतु अवशेष है।

3- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद अलीगढ़ स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रि-सरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्यों के समयबद्ध सम्पादन हेतु धनराशि रूपये 1,09,40,000/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में उक्त धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- शासनादेश संख्या- 55/2016/483/छप्पन-2016-01/2016, दिनांक 29.7.2016 में इंगित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

6- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 87/2016/1378(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/अलीगढ़।
4- जिलाधिकारी, अलीगढ़।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।